उत्तर प्रदेश शासन,
ग्रामीण अभियंत्रण अनुभाग-2,
संख्या-111/2018/2123/92-2-2018-03टीएसी/17
लखनऊ :: दिनांक:: 14 अगस्त, 2018

कार्यालय-ज्ञाप

जनपद-सिद्धार्थनगर में ग्रामीण अभियंत्रण विभाग द्वारा कराये गये अति पिछडे अनुसूचित बाहुल्य ग्रामों में आधारभूत एवं अवस्थापना सुविधाओं यथा-पेयजल, आवास निर्माण, सम्पर्क मार्ग एवं सामुदायिक केन्द्रों के निर्माण कार्यो की टी0ए0सी0 जांच में परिलक्षित शासकीय क्षति एवं अन्य अनियमितताओं हेतु प्रथम दृष्टया उत्तरदायी पाये जाने पर श्री रऊफ अहमद, तत्का0 अधिशासी अभियंता, ग्रामीण अभियंत्रण विभाग, प्रखण्ड-सिद्धार्थनगर सम्प्रति सेवानिवृत्त के विरूद्व सी0एस0 आर0 के अनुच्देद-351ए के अंतर्गत अनुशासनिक कार्यवाही संस्थित करते हुये जांच के सम्पादनार्थ अधीक्षण अभियंता, ग्रामीण अभियंत्रण विभाग, परिमण्डल-गोरखपुर को पदेन जांच अधिकारी नामित किये जाने एवं प्रकरण में विभागीय पक्ष/अभिलेखीय साक्ष्य प्रस्तुत किये जाने हेतु अधिशासी अभियंता, ग्रामीण अभियंत्रण विभाग, प्रखण्ड-सिद्धार्थनगर को पदेन प्रस्तुतकर्ता अधिकारी नामित किये जाने की श्री राज्यपाल संहर्ष स्वीकृति प्रदान करते है।

2- जॉच अधिकारी से अपेक्षा की जाती है कि विधिवत जॉच कार्यवाही पूर्ण कर जॉच आख्या (दो प्रतियों में) ससमय शासन में उपलब्ध करायें।

श्री राज्यपाल के आदेश से,

मो0 इफ्तेखारूददीन
अपर मुख्य सचिव।

संख्या-111/2018/2123(1)/92-2-2018 तददिनांक।

प्रतिलिति निम्नलिखित को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु प्रेषित :-

1- निदेशक एवं मुख्य अभियंता, ग्रामीण अभियंत्रण विभाग, उ0प्र0 लखनऊ को मुख्य प्राविधिक परीक्षक, टी0ए0सी0 के पत्र संख्या-जी-18/पीए-सीटीई/2806-120-158-118/06/2017-18 दि0 30.05.2018 द्वारा उपलब्ध करायी गयी जांच आख्या की प्रति संलग्नकर इस आशय से प्रेषित कि श्री रऊफ अहमद के विरूद्व आरोप पत्र गठित कर शासन को उपलब्ध कराने का कष्ट करें।

2- जांच अधिकारी/अधीक्षण अभियंता, ग्रामीण अभियंत्रण विभाग, परि0-गोरखपुर।

3- श्री रऊफ अहमद, तत्का0 अधिशासी अभियंता, ग्रामीण अभियंत्रण विभाग, प्रखण्ड-सिद्धार्थनगर सम्प्रति सेवानिवृत्त द्वारा- निदेशक एवं मुख्य अभियंता, ग्रामीण अभियंत्रण विभाग, उ0प्र0, लखनऊ।

4- ग्रामीण अभियंत्रण अनुभाग-1

5- गार्ड फाइल।

आज्ञा से,

(वी0के0 सिंह)
संयुक्त सचिव।

1- यह शासनादेश इलेक्ट्रानिकली जारी किया गया है, अत: इस पर हस्ताक्षर की आवश्यकता नही है ।

2- इस शासनादेश की प्रमाणिकता वेब साइट http://shasanadesh.up.nic.in से सत्यापित की जा सकती है ।

http://shasanadesh.up.nic.in